B-3 f 4
L-22
I. Polity

राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)

मूल अधिकार	निदेशक तत्व	मूल कर्तव्य
1. वाद योग्य अधिशासी पूर्ण	(i) अवादयोग्य गैर अधिशासी पूर्ण	1. अवादयोग्य गैर-अधिशासीपूर्ण
(ii) नागरिक अधिकार	(ii) सामाजिक आर्थिक अधिकार	2. नागरिकों का राज्य के प्रति कर्तव्य है।
(iii) राज्य के विरुद्ध अधिकार	(iii) राज्य के द्वारा दिये गये अधिकार	3. नागरिकों के कार्यों को प्रतिबंधित करते हैं।
(iv) उदारवाद	(iv) समाजवाद गांधीवाद	4. मूल कर्तव्य राज्यों को प्राथमिक बनाते हैं।
(v) व्यक्ति	(v) समूह (Collection Right)	

निदेशक तत्व को अवादयोग्य बनाने के कारण :

(i) संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया था जिसमें मूल अधिकारों की उपसमिति भी शामिल है। जिसके अध्यक्ष जे० बी० कृपलानी थे।

(ii) समिति के द्वारा मूल अधिकारों के भारी-भरकम दस्तावेज का निर्माण किया गया जिसे संविधान सभा के सलाहकार बी० एन० राव ने दो भागों में विभाजित करने की सलाह दी-

1. भाग-III के मूल अधिकार जो वादयोग्य और बाध्यकारी होंगे।

Scanned by CamScanner

(ii) भाग IV के सामाजिक आर्थिक अधिकार जो अवादयोग्य और गैर बाध्यकारी होंगे।

(iii) वास्तविक रूप में भाग IV के निदेश तत्व को मूल अधिकारों के पूरक प्रावधान ही माना गया लेकिन इसे अवादयोग्य बनाने के निम्नलिखित कारण थे-

(A) निदेशक तत्व के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है/थी।

(B) स्वतंत्र भारत में राज्य के पास सामाजिक, आर्थिक संसाधनों का अभाव था।

(C) स्वतंत्रता के बाद राज्य के समक्ष देशी रियासतों के एकीकरण, पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने की चुनौती विद्यमान थी।

(d) उग्रवाद और अलगाववाद की समस्या भी विद्यमान थी अतः राज्य की प्रशासनिक क्षमता भी सीमित थी जिसके कारण निदेशक तत्वों को तत्काल लागू नही किया गया।

शासन के मूलभूत सिद्धांत

1. निदेशक तत्व अवादयोग्य हैं क्योंकि राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि को निदेश तत्व के विरुद्ध होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित नही किया जा सकता

Scanned by CamScanner

और न ही निदेशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय राज्य को कोई आदेश देगा। उदाहरण के लिए शाहबानो वाद (1987) में उच्चतम न्यायालय ने राज्य से समान नागरिक संहिता के निर्माण का अनुरोध किया जो निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में है। लेकिन राज्य के द्वारा विशेष रूप में संसद के द्वारा आजतक लागू नहीं किया गया।

(ii) निदेशक तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। (अनुच्छेद 37) जिसका अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा निर्मित विधियों, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते समय निदेशक तत्वों को ध्यान में रखा जाएगा।

(iii) निदेशक तत्वों के अवादयोग्य होने के ही कारण आलोचकों ने इसे पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा कहा। इसे भावनाओं का कूड़ादान और महात्मा गांधी को दी गई अन्तिम श्रद्धांजलि तक कह दिया।

(iv) निदेशक तत्व का पहला प्रयोग स्पेन के संविधान में किया गया था जिससे आयरलैंड के द्वारा निदेशक तत्वों का प्रावधान लिया गया। भारत के संविधान के अलावा निम्नलिखित प्रभाव भी देखे जा सकते हैं:-

(i) भारत शासन अधिनियम (1935) के Instrument of Instructions।

Scanned by CamScanner

(ii) सोवियत संघ का समाजवादी संविधान

निदेशक तत्व संवैधानिक रूप में अवादयोग्य हैं लेकिन डॉ० अम्बेडकर ने निदेशक तत्वों का बचाव करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ा न्यायालय है और कोई भी निर्वाचित सरकार यदि पुनः चुनाव जीतना चाहती है। तो उसे निदेशक तत्व लागू ही करना होगा और हाल ही में निदेशक तत्व के क्रियान्वयन को अतिरिक्त फोकस किया गया है जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

(a) बिहार सरकार के द्वारा शराब बंदी की घोषणा।

(b) उत्तराखण्ड के द्वारा समान नागरिक संहिता का निर्माण।

(c) संसद के द्वारा मनरेगा और शिक्षा के अधिकार संबंधी अधिनियम का निर्माण।

(d) इसके अतिरिक्त आयुषमान भारत, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम के द्वारा निदेशक तत्व का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

निष्कर्ष :-

निदेशक तत्व के अनुसार भारत का राज्य कल्याणकारी है। लेकिन राज्य के द्वारा फ्री बीज देने से बचना चाहिए जिससे आम जनता का दीर्घकालिक कल्याण हो सके।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner